पत्रांक–कारा / बजट(उप)–03–02 / 16......126

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, हिलसा, रोसड़ा एवं शेरघाटी।

पटना, दिनांक–24/3/2017।

विषयः–**मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹4,59,000 (चार लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

विपत्र कोड–N2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17 / बी0एस0जी0–18 / 2016–423 / वि. दिनांक–31.03.2016 पत्रांक–एम0–4–09 / 2014–4572 / वि0 दिनांक–03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु अधीक्षक, उपकारा, हिलसा, रोसड़ा एवं शेरघाटी से प्राप्त अधियाचना के आलोक में तथा अधीक्षक, उपकारा, पटना सिटी के पत्रांक–225 दिनांक–20.03.2017 द्वारा 21 02 दवा भंडार मद में प्रत्यर्पित राशि ₹91,203 एवं 13 04 विद्युत प्रभार मद में प्रत्यर्पित राशि ₹1,66,193 तथा उपकारा, दानापुर के पत्रांक–279 दिनांक–20.03.2017 द्वारा 21 02 दवा भंडार मद में प्रत्यर्पित राशि ₹46,893 एवं 13 04 विद्युत प्रभार मद में प्रत्यर्पित राशि ₹1,26,898 का प्रत्यर्पण स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न आकस्मिक मदों में पुनर्आवंटन निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है :–

क्र	उपकारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	हिलसा	21 02 दवा भंडार	548000	166000	714000	सात लाख चौदह हजार रूपये मात्र।
2	रोसड़ा	13 04 विद्युत प्रभार	300000	61000	361000	तीन लाख एकसठ हजार रूपये मात्र।
3	शेरघाटी	13 04 विद्युत प्रभार	400000	232000	632000	छः लाख बत्तीस हजार रूपये मात्र।
		कुल योग	**1248000**	**459000**	**1707000**	सत्रह लाख सात हजार रूपये मात्र।

(चार लाख उनसठ हजार रूपये मात्र)

2. इस आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0003 उप जेल (विपत्र कोड–N2056001010003) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि से निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी में उल्लिखित

संजय कुमार
सहायक

मो. जमालुद्दीन अंसारी
प्र0 पदा0

राधानाथ सिंह
उप निदेशक (बजट)

मदों की कूट संख्या, मांग संख्या–22 एवं विपत्र कोड–N2056001010003 का उल्लेख विपत्रों पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

7. काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

8. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

9. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16– 126 /पटना, दिनांक 24.3 2017

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16– 126 /पटना, दिनांक 24.3 2017

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, हिलसा, रोसड़ा, शेरघाटी, पटनासिटी एवं दानापुर तथा अधीक्षक, उपकारा, पटना सिटी एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16– 126 /पटना, दिनांक 24.3 2017

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16– 126 /पटना, दिनांक 24.3 2017

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।